



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प.13(51)का./क-1/गो.प्र./2022-02354

दिनांक: 29.04.2024

परिपत्र:-

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 13(51)का./क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं दिनांक 22.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त राजसेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भरने के प्रावधान किया गया था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward Approval प्रणाली अपनाये जाने के प्रावधान किया गया है, तथा परिपत्र दिनांक 22.04.2022 के द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के क्रम में राज्य सेवा के समस्त राजसेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.04.24 से बढ़ाकर दिनांक 31.05.2024 तक की जाती है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि जिन राजसेवकों द्वारा अपना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भरा है उन राजसेवकों को कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भरने हेतु अपने स्तर पर भी निर्देशित करें।

(कनिष्क कटारिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा.उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)।
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कार्पियों सहित।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।



Signature valid

Digitally signed by Kanishk Kataria  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.04.29 17:26:31 IST  
Reason: Approved



प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी/अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/ सहायक कलक्टर, राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref  
6827654

Signature valid

Digitally signed by Karshak Kataria  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.04.29 17:26:31 IST  
Reason: Approved